कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2026

🔷 थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए, लूट की घटना का वांछित व 25000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

🔷 गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जें से लूट की घटना से जुड़े 2200 रुपए नकद, चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद

घटना-

थाना मुगलसराय पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 21.05.2026 को वह अपनी फर्म शक्ति इंटरप्राइजेज, जतनबर, वाराणसी के सेल्समैन के रूप में पड़ाव से बहादुरपुर क्षेत्र की विभिन्न दुकानों से कलेक्शन कर नगद धनराशि अपने बैग में रखकर मोपेड से भोजपुर की ओर गया था। भोजपुर से पुनः वाराणसी लौटते समय ग्राम चौरहट के मुख्य मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों से आए लगभग 05 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया तथा नगदी से भरा बैग लूटकर पड़ाव की ओर फरार हो गए। घटना के संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2026, धारा 310(2)/317(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गई। उक्त घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष मुगलसराय, विजय प्रताप सिंह, निरीक्षक रामजनम यादव, प्रभारी स्वाट व प्रभारी सर्विलांस, आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30/31.07.2026 की रात्रि में थाना मुगलसराय पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-250/2026, धारा 310(2)/317(3) बीएनएस से संबंधित व 25,000 रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त हरीश पाण्डेय को एम्बीशन स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध असलहा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315

बोर, लूट की घटना से संबंधित 2,200 रुपए नकद व एक चोरी की मोटरसाइकिल संख्या UP65 BU 2554 तथा एक सैमसंग मोबाइल फोन बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0- 385/26 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ क दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.05.2026 को उसने अपने पांच अन्य साथियों के साथ ग्राम चौरहट, पड़ाव-रामनगर मार्ग पर एक वसूली कर्मचारी की रेकी कर पीछे से धक्का देकर गिराया तथा उसके बैग में रखे 1,34,000 लूट लिये थे। लूट की धनराशि सभी अभियुक्तों में बराबर-बराबर बांटी गई थी, जिसमें उसके हिस्से में 17,000 रुपए आए थे। बरामद 2,200 रुपए उसी लूट की शेष धनराशि है, जबकि बाकी रुपये उसने अपने निजी खर्च एवं मौज-मस्ती में खर्च कर दिए। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद मोटरसाइकिल संख्या UP65 BU 2554 उसने वाराणसी क्षेत्र से चोरी की थी तथा उसी वाहन का उपयोग आवागमन एवं आपराधिक गतिविधियों में करता था। अवैध तमंचे के संबंध में उसने बताया कि उसने उक्त तमंचा बिहार से खरीदा था तथा लोगों में भय एवं अपना दबदबा बनाए रखने के उद्देश्य से अपने पास रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.हरीश पाण्डेय पुत्र रामजीत पाण्डेय निवासी ग्राम हरिहरपुर, थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी उम्र-लगभग 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1-एक अवैध तमंचा .315 बोर

2-एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

3-लूट की शेष धनराशि 2,200 रुपए नकद

4-एक चोरी की मोटरसाइकिल संख्या UP65 BU 2554

5- एक सैमसंग मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0-250/2026, धारा 310(2)/317(3) बीएनएस, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0-385/2026, धारा 317(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

3.मु0अ0सं0-172/2025, धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

2.उ0नि0 अजय कुमार, चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

3.हे0का0 सुशील यादव थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

4.हे0का0 रितेश सिंह थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

5.रिक्रूट आरक्षी अभिषेक मौर्य थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1.निरीक्षक रामजनम यादव, प्रभारी स्वाट, जनपद चन्दौली मय टीम

2.उ0नि0 आशीष मिश्रा, प्रभारी सर्विलांस, जनपद चन्दौली मय टीम